

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-jethodpwd@rediffmail.com

पत्रांक:-1118 / 10अधिप्राप्ति प्रकीर्ण वर्ग-उ0/2020

दिनांक 16.12.2020

कार्यालय ज्ञाप

वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य के लोक निर्माण विभाग में मार्गों के नव निर्माण, पुनः निर्माण हेतु मानक दरें इस कार्यालय के पत्रांक 60/10अधिप्राप्ति-प्रकीर्णवर्ग-उ0/19 दिनांक 14.01.2020 द्वारा निर्धारित की गई थी। पर्वतीय क्षेत्रों के अन्तर्गत, प्रथम चरण के कार्य पूर्ण करने एवं वनभूमि स्वीकृति के उपरान्त मोटर मार्गों के नवनिर्माण कार्य (कच्चा स्तर तक) द्वितीय चरण को दो स्टेज में किये जाने हेतु शासन द्वारा निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की गई है:-

(I) स्टेज-I के अन्तर्गत - बैंक कटिंग लाईन एवं बैंक कटिंग पिलर्स आदि का निर्माण कार्य, पहाड़ कटान, फसल, जमीन एवं निर्माण के दौरान भवनों की क्षति के प्रतिकर, मक डिस्पोजल का कार्य।

(II) स्टेज-II के अन्तर्गत - पहाड़ कटान (अवशेष कार्य), रिटेनिंग/ब्रेस्ट वॉल, आर.सी.सी. कल्वर्ट, माइनर ब्रिज, ड्रेन, मक डिस्पोजल का कार्य एवं अन्य अवशेष कार्य।

अतः शासन के पत्रांक 2217(1)/111(2)/20-17(सामान्य)2008 दिनांक 11.12.20 के अनुपालन में प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में गठित समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों के आधार पर संलग्न पृष्ठों के अनुसार द्वितीय चरण के स्टेज-I एवं स्टेज-II हेतु प्रति किमी० मानक दरें निर्धारित की जाती हैं।

भविष्य में उक्त दरों के अनुसार ही आगणन गठित किये जायें। यह दरें तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगी।

(हरि ओम शर्मा)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
- 5- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञान हेतु।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, कुमायूँ मण्डल विकास निगम, देहरादून।
- 8- मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, यमुना कालोनी, देहरादून।
- 9- मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून।
- 10- मुख्य अभियन्ता पौड़ी/देहरादून/अल्मोड़ा/हल्द्वानी क्षेत्र/पी.एम.जी.एस.वाई. लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/देहरादून/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
- 11- महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून।
- 12- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिविल एवं वि०/या०, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड। अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर से अधिशासी अभियन्ताओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 13- टी.ए.सी. वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 14- वरिष्ठ स्टाफ आफीसर/अधिशासी अभियन्ता, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- 15- प्राविधिक वर्ग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

संलग्न:- 02 पृष्ठ।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
16/12/2020

Enclosure of Office Order No.

/10Adhiprapati-Prakirn varg-UK/19 Dated

12.2020

Standard Unit Rates for New Construction of Hill Roads (Ist Phase)

S. No	Item	Current Rate Per KM (₹ in Lakh) (W.e.f 14.01.2020)	Rate Per KM for Stage I (₹ in Lakh)	Rate Per KM for Stage II (₹ in Lakh)
1	2	3	4	5
1	Plotting, Cutting Line at Site, According to the alignment finalized in Stage I.	0.10	0.10	-
2	Construction of back cutting line/pillars and job pillars.	0.40	0.40	-
3	Compensation of Damage to crops, land and existing buildings during construction	2.50	0.55	1.95
4	Hill Side Cutting/Filling for Road Construction 29%	20.00	15.00	5.00
5	Construction of Retaining Wall and Breast Wall	13.25	-	13.25
6	Construction of RCC Culvert (Of Minimum 1m Span) along with catchpit	14.70	-	14.70
7	Construction of Minor Bridge & Causeway	3.00	-	3.00
8	Construction of Kuchcha Drain (in about 900mm length) and Pucca Drain (in about 100m length)	2.00	-	2.00
9	Construction of Kilometre Stones. Hectometre Stones. Edgestones and fixing of Signboards	0.65	-	0.65
10	Construction of Parapet on outer curves and scuppers	3.00	-	3.00
11	Improvement of Gradient and providing superelevation including construction of cooile wall	0.70	-	0.70
12	Soling Coat (with 45 - 90 mm stone aggregate) compacted to a thickness of 10 cm and to be provided in the soft reaches (100 mts length in a km)	1.70	-	1.70

Contd

Enclosure of Office Order No.

/10Adhiprapati-Prakirn varg-UK/19 Dated

12.2020

Standard Unit Rates for New Construction of Hill Roads (IInd Phase)

S. No	Item	Current Rate Per KM (₹ in Lakh) (W.e.f 14.01.2020)	Rate Per KM for Stage I (₹ in Lakh)	Rate Per KM for Stage II (₹ in Lakh)
1	2	3	4	5
13	Maintenance of the road, during construction	1.20	-	1.20
14	TOTAL	63.20	16.05	47.15
15	3% for Contingency + 1% for Quality Control (Total 4%)	2.53	0.64	1.89
16	TOTAL	65.73	16.69	49.04
17	Disposal of debris after hill side cutting (As per the disposal Plan of the forest department) I/C Protection Work	7.50	5.63	1.87
	TOTAL	73.23	22.32	50.91
	12% GST on (14) + (17)	8.48	2.60	5.88
	Grand Total	81.71	24.92	56.79
	SAY	81.70	24.90	56.80

16/11/2020
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (द्वितीय),
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

अधीक्षण अभियन्ता,
नवम वृत्त, लो.नि.वि., देहरादून

मुख्य अभियन्ता (नियोजन),
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-2
संख्या- /III (2)/20-17(सामान्य)2008
देहरादून : दिनांक 11 दिसम्बर, 2020
:: कार्यालय ज्ञाप ::

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 571/XXVII(1)/2010 दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 द्वारा विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाये जाने तथा परियोजना में अनावश्यक समय तथा Cost over run को दूर करने के उद्देश्य से मोटर मार्ग/सेतु परियोजनाओं की स्वीकृति दो चरणों में दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत, प्रथम चरण के कार्य पूर्ण करने एवं वनभूमि स्वीकृति के उपरान्त पर्वतीय मोटर मार्गों के नवनिर्माण कार्य (कच्चा स्तर तक) द्वितीय चरण को दो स्टेज (स्टेज-I एवं स्टेज-II) में एतद्वारा निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- (i) स्टेज-I के अन्तर्गत- बैंक कटिंग लाईन एवं बैंक कटिंग पिलर्स आदि का निर्माण कार्य, पहाड़ कटान, फसल, जमीन एवं निर्माण के दौरान भवनों की क्षति के प्रतिकर, मक डिस्पोजल का कार्य।
- (ii) स्टेज-II के अन्तर्गत- पहाड़ कटान (अवशेष कार्य), रिटेनिंग/ब्रेस्ट वॉल, आर.सी.सी. कल्वर्ट, माइनर ब्रिज, ड्रेन, मक डिस्पोजल का कार्य एवं अन्य अवशेष कार्य।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव।

संख्या- 2217(1)/III (2)/20-17(सामान्य)2008, तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. श्री ललित मोहन, तकनीकी सलाहकार, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून, को इस निर्देश के साथ कि उक्तानुसार स्टेज-I एवं स्टेज-II की मानक दरें अपने स्तर से जारी करना सुनिश्चित करें।
9. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड।
10. समस्त अधीक्षण/अधिशाली अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. वित्त अनुभाग-1/2, उत्तराखण्ड शासन।
13. लोक निर्माण अनुभाग-1/3/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।